राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष ३१ अंक २ फरवरी २०१० नई दिल्ली मूल्य ७रु. पेज २८

वसुधैव कुटुम्बकम्।।
WORLD IS A FAMILY

FOR PEACE FOR FUTURE FOR PEACE FOR FUTURE

3rd International Conference on

Conflict Re olutio and Pea ce

3-4 February 2010, New D

55वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

खुला अधिवेशन

उना, हिमाचल प्रदेश

A
B
V
P

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष: _____

संरक्षक:
अतुल कोठारी

संपादक:
डॉ. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध मण्डल:
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अशु'
उमा शंकर मिश्र

फोन: 011-23093288, 27662477

•

E-mail:chhatrashakti@gmail.com

•

Website: www.abvp.org

डॉ. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी-50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली-110007 के लिए प्रकाशित एवं मॉर्डन प्रिन्टर्स, के0 30 नवीन शहादरा, दिल्ली-32, द्वारा मुद्रित

विषय सूची — पृष्ठ संख्या

उपनिवेश काल की विरासत	4
द ग्रेट तमाशा – कॉपनहेगन	6
मातृभाषा 'हिंदी' में भी है कई संभावनाएं	8
पत्रकार अनन्त कथा अनन्ता	10
लिब्राहन आयोग कीजांच रिपोर्ट का विश्लेषण	12
55वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन	17
WOSY Conference	24

वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

दैनिक जागरण

उपनिवेश काल की विरासत

– तरुण विजय

राष्ट्रमंडल देशों के समूह में 53 देश हैं, जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश थे और बाद में ब्रिटेन से संघर्ष कर स्वतंत्र हुए। इनमें सर्वाधिक मुख्य और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक सदस्य भारत है। इसके बाद मलेशिया, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। इन सदस्य देशों की कुल जनसंख्या लगभग 1 अरब 90 करोड़ है। यानि राष्ट्रमंडल देशों की आधी से ज्यादा जनसंख्या तो भारत में ही है। फिर भी शुरू से अब तक राष्ट्रमंडल देशों की सर्वोच्च अध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी ही होती है, जबकि कामकाज महासचिव संभालते हैं, जो इन दिनों भारत के कमलेश शर्मा हैं। ब्रिटेन के पूर्व गुलाम देशों के इस क्लब में भारत के रहने का औचित्य समय-समय पर प्रश्नांकित किया जाता रहा है। पूर्व गुलाम देशों द्वारा रानी को आज भी अपना सर्वोच्च अध्यक्ष मानते हुए राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करना और उनकी शुरुआत के लिए किसी लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से खेल की बैटन लेने के बजाय रानी के महल से ले लेना क्या हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान तथा लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है? ब्रिटिश शासकों के हाथ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त से रंगे हैं। ब्रिटेन की समृद्धि और औद्योगिक क्रांति के पीछे ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत से लूटी गई संपदा का निवेश रहा है। भारतीयों के प्रति ब्रिटिश बर्बरता इतिहास में अमानुषिक क्रूरता का उदाहरण है। बंगाल का अकाल, 1857 की क्रांति के बाद देशभक्तों का नरसंहार, बुनकरों के अंगूठे काटने, भारतीय भाषाओं, ज्ञान परंपरा और विद्या केंद्रों को नष्ट कर विभिन्न समुदायों में वैमनस्य के बीज बोकर विभाजन तक का सफर ब्रिटिश अमानवीयता का उदाहरण है। इसके लिए कभी ब्रिटेन ने भारत तथा भारतीय नागरिकों से क्षमा नहीं मागी। उसी ब्रिटेन की अलोकतांत्रिक शाही परंपरा को भारत जैसे देश द्वारा सम्मान दिया जाना और उस परंपरा की छाया में 80 अरब रुपये से अधिक खर्च कर खेल आयोजित करना किस मानसिकता का द्योतक है?

राष्ट्रमंडल खेल पहले 'ब्रिटिश एम्पायर गेम्स' यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत गुलाम देशों के खेल कहे जाते थे। यह ब्रिटिश कूटनीतिक सफलता है कि साम्राज्य खत्म होने के बाद भी उन्होंने पुराने गुलामों को एक मंच पर लाकर इकट्ठा कर दिया और उन्हीं के धन और श्रम से अपनी महारानी की प्रतीकात्मक सर्वोच्चता स्थापित रखी। विडम्बना है कि रायबहादुरों और राय साहबों पर आज भी भारत का एक वर्ग गौरव करता है, पर हमें यह तय करना है कि रायबहादुरों की परंपरा का अनुगामी होकर हमें डायर के वंशजों का तिलक करना है या भगत सिंह की परंपरा का वंदन करना है? ब्रिटिश महारानी से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की प्रतीक बैटन का उन देशों की परंपराओं और विरासत से कोई संबंध नहीं है जो राष्ट्रमंडल का कुल निर्मित करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की अधिकृत वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं– खेलों की 'बैटन' का रूपाकार 2008 में ब्रिटिश रानी के शासन की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में दिया गया था। 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों में होने वाली खिलाड़ियों की परेड का नेतृत्व केवल ब्रिटिश राष्ट्रीय झंडे से किया जाता था। 1958 से खिलाड़ियों द्वारा ब्रिटिश रानी से बकिंघम पैलेस में बैठने से लेकर मेजबान देश तक ले जाने का चलन शुरू हुआ। इस मशाल पर आज भी खिलाड़ियों के लिए ब्रिटिश रानी का शुभकामना संदेश होता है। यही नहीं, खेलों के श्रीगणेश के उत्सव में सैन्य परंपराओं का समावेश ब्रिटिश सेना के सम्मानार्थ किए जाने का प्रावधान है।

यह सत्य है कि कालांतर में सदस्य देशों के देशभक्त नागरिकों के दबाव में अनेक परिवर्तन किए गए और अब भी किए जा रहे हैं, पर सवाल मूल भावना का है। हम

साम्राज्यवादी परंपरा और उसकी समृति जारी रखने वाले संगठन का सदस्य क्यों बनें? क्या राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य हुए बिना हम भारत में खिलाड़ियों का भविष्य नहीं सुधार सकते? भारत में राष्ट्रमंडल खेल भ्रष्टाचार और जगहंसाई का अनावश्यक अवसर बन गए हैं। इससे न हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को बल मिलता है और न ही खेलों को। एक आकलन के अनुसार भारत जो राशि राष्ट्रमंडल खेलों पर खर्च कर रहा है उसी राशि से भारत के 55 जिलों में ओलंपिक की तैयारी और प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए पूर्ण विकसित खेल केन्द्र अगले 10 सालों तक चलाए जा सकते हैं। यह विडंबना है कि बकिंघम पैलेस में रानी एलिजाबेथ से जो बैटन नोरु और मालदीव जैसे देशों के राष्ट्रध्यक्षों ने स्वीकार नहीं की वही बैटन लेने के लिए उस भारत की राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गई।

एक समय था जब स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भारत नव स्वतंत्र एशियाई देशों का अग्रदूत और उनकी आशाओं का केंद्र था। यह नेतृत्व भारत के पास स्वाभाविक रूप से उसके विराट स्वतंत्रता संघर्ष, सभ्यता और संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा और उस परंपरा के विश्व के अनेकानेक भागों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव का परिणाम था, लेकिन भारत के कमजोर और राष्ट्रीयता के गौरव से विहीन नेतृत्व ने वह प्रभामडल खत्म कर दिया और हम न केवल एशियाई देशों का नेतृत्व खो बैठे, बल्कि आज हमें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक के नाते औपनिवेशिक दास मानसिकता से ग्रस्त ऐसे देश के रूप में जाना जा रहा है जो ब्रिटिश राज परंपरा का किसी न किसी रूप में वाहक बना है। भारत को चाहिए कि वह ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास से पीछा छुड़ाकर अपने नेतृत्व में खेलों का एक राष्ट्रकुल बनाए, जिसमें उन सभी देशों के स्थानीय खेलों, भाषाओं और राष्ट्रीय परंपराओं का स्वाभिमानपूर्वक स्थान अंतर्निहित हो। समय आ गया है जब हमें राष्ट्रमंडल से अपने संबंधों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए।

DELHI 2010
XIX COMMONWEALTH GAMES
COME OUT AND PLAY

Ideal Personality

Chaman lal was basically belongs to village Bijhadi of distt. Hamirpur [H.P.]. He was born on 3 july 1981. His father name was Sh. Rattan chand and his mother name was smt. Santosh kumari. He had 2 brother and 1 sister. Chaman lal's schooling was held at Bijhadi. he was a brilliant student having a sharp mind since childhood. He had completed his B.Com. from S.D. College Bhatoli in 2003 and started law study in H.P.U. in the same year. He had explored C.P.M.T. scam and for leading the moment against this scam he was get imprisoned for 11 days and for the same reason university delayed his degree. He has strong will power and great feeling of sacrifice for his nation which he had shown many times by his activities. many times he raised voice against corruption. When he was on the way to Sundarnagar to attend an organisational meeting he met with an accident, in this way he used even his last breath for organisation and set an ideal in

द ग्रेट तमाशा - कॉपनहेगन

– आशीष कुमार 'अंशु'

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 10–18 दिसम्बर तक चले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से दुनिया भर ने आशाएं लगा रखी थीं, लेकिन इसका परिणाम बेहद निराश करने वाला साबित हुआ। दुनिया भर के देश कार्बन उत्सर्जन में कटौति संबंधी बातचीत में किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए।

✍ परिवर्तन जो कि एक सकारात्मक शब्द है, जलवायु परिवर्तन के अर्थ में मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार इसका उपयोग नकारात्मक अर्थो मे हो रहा है। हमारी सभ्यता का शब्दकोश परिवर्तन को नकारात्मक अर्थो में परिभाषित नहीं करता। यह परिवर्तन ही है, जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को परिलक्षित और निर्देशित करता है। हाल–फिलहाल में जिस बदलाव की चर्चा खुब हो रही है, वह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन से पहले जिस टर्म को हम बार–बार सुन रहे थे, वह ग्लोबल वार्मिंग था, यानि की धरती का गर्म होना। धीरे–धीरे ग्लोबल वार्मिंग टर्म अवैज्ञानिक साबित हुआ।

✍ आईपीसीसी (इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) और अल गोर ने कम्प्यूटर मॉडल्स के माध्यम से यह जताने की जी तोड़ कोशिश की कि धरती का तापमान इतना बढ़ने वाला है कि मानों अगले ही पल प्रलय आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने मालदीव जैसे छोटे से द्वीप देश से यह भद्दी नौटंकी भी कराई, जिसके लिए उनके राष्ट्रपति और पूरे मत्रिमंडल को समुद्र की तलहटी पर अपनी बैठक करनी पड़ी।

✍ 'टॉक्सिक वाच' नामक संस्था में वरिष्ठ शोधार्थी राकेश भट्ट के अनुसार – ग्लोबल वार्मिंग का विज्ञान 'एमबीएच 98' नाम की अवैज्ञानिक अवधारणा पर टिका हुआ है। जिसको बढ़ा–चढ़ा कर अलगोर ने अपनी डॉक्यूमेन्ट्री 'एन इन्कवनीनिएन्ट ट्रुथ' में इस्तेमाल कर नोबल पुरस्कार तो प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद सत्य को ढका नहीं जा सका।

✍ स्टेफन मैकनटायर और रॉस मेक्ट्रिक्स नाम के दो वैज्ञानिक ने अल गोर के छद्म से पर्दा हटाकर सच को सामने लाने का साहस दिखाया है। इस तरह उन्होंने अपने वैज्ञानिक होने का धर्म भी निभाया और यह साबित किया कि एमबीएच 98 की अवधारणा असत्य है। या कहें एक तरफा सत्य पर आधारित बेबुनियाद सोच है। नासा (द नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) की रिपोर्ट्स भी यह बताती है कि उपग्रहों से उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर साबित होता है कि पिछले दशक में धरती का तापमान बढ़ा नहीं है।

इधर जब अपनी दाल गलती नहीं दिखी तो इन्होंने अब ग्लोबल वार्मिंग के बजाय क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इस परिवर्तन का ठीकरा मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाई ऑक्साइड के सिर पर फोड़ दिया। बावजूद इसके कि क्योटो संधि जिसके अन्तर्गत बहुत से देशों ने कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। उसमें अमेरिका जैसा देश शामिल नहीं है, जो इस उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस बार कॉपेनहेगन सम्मेलन में भी अमेरिका की भूमिका संदिग्ध बनी रही है। वह तो भला हो विकासशील देशों का जो अपने तय पक्ष से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी वजह से भारत और चीन एक मंच पर आए। जिसे पत्रकारों द्वारा एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा गया।

ज्लवायु परिवर्तन के लिए बनी समिति का कहना है कि जलवायु को 1990 के स्तर पर लाने के लिए उत्सर्जन में 25 से 40 प्रतिशत की कटौति करनी होगी। कार्बन डाई ऑक्साइड का आंकड़ा देखें तो वर्ष 2004 में लगभग 27 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ। जिसमें अमेरिका प्रति व्यक्ति 26.6 टन, जापान 13 टन, रूस 10 टन, चीन 4.7 टन और भारत के हिस्से एक टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आता है। इससे साफ है कि इस कुकर्म के लिए कौन कितना जिम्मेवार है?अब चीन में ऊर्जा की जरूरत दानव की तरह बढ़ती जा रही है। अब

वह अपनी जरूरत पर लगाम नहीं लगा सकता।

कॉपनहेगन में पिछले साल दिसम्बर में हुए बैठक का महत्व 2012 में खत्म होने वाले क्योटो प्रोटोकॉल की जगह नई संधि अपना मुकम्मल शक्ल अख्तियार नहीं कर पाई। इस साल फिर पर्यावरण के लिए चिन्तित दुनिया भर के मुल्क एक साथ बैठेंगे। कुछ नई संधियां होंगी। उम्मीद है नई संधि को पूरी तरह 1 मार्च 2013 से लागू किया जाएगा।

याद कीजिए पिछले साल नवम्बर के महीने में जिस प्रकार एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय बैठकों का दौर चला। मसलन न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, पीट्सबर्ग में जी–20 और उसके बाद बैंकॉक की बैठक, इससे तस्वीर साफ हो गई थी। इस विषय का सार यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील और विकसित देशों के हित अलग–अलग हैं। यद्यपि विकसित देश चाहते हैं कि जीजीई (ग्रीनगैस गैस एमिशन) पर लगाम की जिम्मेवारी विकासशील देश लें। दुनिया की उन्नतिशील अर्थव्यवस्थाएं चाहती है कि विकसित देश जीजीई में अपनी कटौति की भूमिका को स्वीकार करें और इसके लिए चल रहे अभियान में तकनीकी सहायता के साथ–साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएं। दूसरी तरफ विकसित देश दोनों में से एक भी उम्मीद पर खरी उतरती नजर नहीं आ रहीं हैं।

षष्ठीपूर्ति समारोह

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के सुअवसर पर दिल्ली में पटेल चेस्ट ऑडिटोरियम में भव्य षष्ठीपूर्ति समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मा. सुरेश सोनी जी सह सर कार्यवाह आर.एस.एस. विशिष्ट अतिथि श्री सुनील अम्बेकर राष्ट्रीय सगंठन मंत्री ए.बी.वी.पी. एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरूण जेटली रहे। इस हेतु कैंपस के 60 कार्यकर्ता व्यवस्था में रहे। कैंपस को होर्डिंग्स, बैनर पोस्टर, झंण्डे, फूलों, दीपकों से सजाया गया था। इस कार्यक्रम में सभी पूर्व एवं वर्तमान कार्यकर्ताओ का स्वागत तिलक लगाकर एवं बैच लगाकर किया गया। समारोह में क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 545 पूर्व एवं वर्तमान कार्यकर्ताओं का सहभाग रहा। इस कार्यक्रम में पूरा कैंपस भगवा झण्डों और पताकाओं से सजाया गया। पूरा कैंपस (दिल्ली विश्वविद्यालय) षष्ठी पूर्वी समारोह में भगवा नजर आ रहा था। पूरे प्रदेशभर से साउथ कैंपस, कालकाजी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, जे.एन.यू. एवं देहात विभाग से भी बड़ी संख्या में छात्र–छात्रा भी सहभागी हुएं एवं समारोह में संघ के वरिष्ठ अधिकारी एवं विचार परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मातृभाषा 'हिंदी' में भी है कई संभावनाएं

आमतौर पर हिंदी में केरियर का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पहले हिंदी में केरियर का मतलब होता था लेखक या कवि बनना। लेकिन आज हिंदी में केरियर कई विकल्प हैं। केवल हमारी राष्ट्रभाषा ही नही हैं, यह जनता की भाषा भी है। बड़े हिंदी भाषी प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली करीब 30 बोलियां हैं। जो देश के शिक्षित वर्ग द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है। शक्तिशाली जनसंचार माध्यम के रूप में हिंदी सिनेमा और दिनों दिन बढ़ते हिंदी टीवी चैनलों की संख्या ने हिन्दी में अपना कैरियर बनाने वालों के लिए कई मौके दे दिए हैं।

रोजगार के अवसर :

हमारी राष्ट्रीय भाषा की बढ़ती लोकप्रियता और अंतराष्ट्रीय स्थिति के साथ–साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। अधिक विशिष्टता के साथ देखें तो अनुप्रयुक्त या कार्यात्मक हिंदी रोजगार चाहने वालों के लिए पूर्ण क्षमताओं से भरा क्षेत्र है।

- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की विभिन्न संस्थाओं इकाईयों में (हिंदी भाषी राज्यों में) हिंदी भाषा में कार्य करना अनिवार्य है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं इकाइयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक और प्रबंधक (राजभाषा) जैसे अलग–अलग पद
- निजी टीवी और रेडियो चैनलों, पत्रिकाओं और समाचार–पत्रों के हिंदी रूपांतरणों से इस दिशा में कई अवसर
- हिंदी मीडिया के क्षेत्र में रिपोर्टरों, संवाददाताओं, उप–संपादकों, संपादकों, प्रूफ–रीडरों, रेडियो जॉकी, एंकरों आदि
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो जॉकी, एंकर आदि जैसे पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता होना अनिवार्य
- द्विभाषी दक्षता प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी लाभकारी
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और बैंकों आदि में व्यापक अवसर
- अनुवाद कार्य करने का भी एक प्रमुख क्षेत्र

यह सही है कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को इसकी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कारण विशेष दर्जा प्राप्त है। कुछ प्रतिशत भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के प्रति उत्साह है। लेकिन यह भी सही है कि वर्षों से अंग्रेजी भाषा को दिए जा रहे प्रोत्साहन के बावजूद अब भी यह मुश्किल से भारत की पांच प्रतिशत जनसंख्या की ही भाषा है। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हिंदी पत्र–पत्रिकाओं को माध्यम बनाया गया। अमरीका में कुछ स्कूलों ने अपने फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन साझेदारों के साथ हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर हिंदी ने अपने भाषा–विषयक कार्य क्षेत्र के लिए वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है।

योग्यता :

कम से कम योग्यता 12 वीं है। इसके बाद आप स्नातक से हिंदी में अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी में सृजनात्मक लेखन में कई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। इन सबके अलावा अगर आप को हिंदी विषय में रूचि है तो फिर इसमें केरियर बनाना कोई मुश्किल नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने में योगदान किया है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुकूल हिंदी का आविर्भाव। हिंदी वेबसाइटें, जिनसे हिंदी बोलने वाले नेट प्रेमी आसानी से जुड़ सकते हैं। www.raftaar.com प्रथम हिंदी सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कर चुका है। लोकप्रिय समाचार–पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक रूपांतर तथा बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया समूहों के पोर्टल नेट पर उपलब्ध हैं। सूचनाप्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने ऑन–लाइन हिंदी सीखने की सुविधा जैसी नई व्यवस्था ने, इसकी व्यापकता में काफी वृद्धि कर दी है। सौ से अधिक देशों में फैले अनिवासी भारतीय विभिन्न प्रकार से हिंदी का रोजमर्रा प्रयोग करके हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं।

व्यावसायिक अध्ययनों के लिए संस्थान :

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)–हिंदी में एमए, सृजनात्मक लेखन में पाठ्यक्रम, हिंदी माध्यम से मीडिया पाठ्यक्रम।
- भारतीय जन–संचार संस्थान, जेएनयू कैम्पस, नई दिल्ली (विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं लघु अवधि पाठ्यक्रम, मुख्यतः मीडिया से संबंधित पाठ्यक्रम)।
- जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली।
- केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (उ.प्र.)– उन्नत अकादमिक पाठ्यक्रमों के लिए।

पत्रकार अनन्त कथा अनन्ता

– आशीष कुमार 'अंशु'

'हमने कलम को क्या–क्या ना बनाया अब तक
इस नए दौर में हथियार बनाने की जीद,
बिका दिमाग, बिकी रुह जुबां भी गिरवी
फिर भी अखबार को अखबार बनाने की जीद।'

अब कोई नहीं पूछता पत्रकारिता मिशन है या प्रोफेशन?शायद अब सब जान–बुझ गए हैं कि भारत में 25000 करोड़ रुपए की मीडिया इंडस्ट्री मिशनरी भाव से खड़ी नहीं की जा सकती है। यह शुद्ध व्यावसायिक हितों से ही संभव है। बीरला से लेकर उषा मार्टिन तक हर तरह के व्यावसायी इस व्यवसाय में क्या किसी सामाजिक परिवर्तन की अकांक्षा लेकर आए हैं?बिल्कुल नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो यह व्यवसाय देश के तमाम व्यवसायों से अधिक चोखा है। समाज में सम्मान दिलाता है, इससे आमदनी होती है, और सरकार – प्रशासन के बीच अखबार के मालिक की हैसियत से रौब–दाब तो रहता ही है।

पिछले कुछ समय से पत्रकारिता में एक नया ट्रैंड देखने को मिल रहा है। खबरों की खरीद–बिक्री का। ऐसे में अखबार पढ़ने वाले उस खबर पर कैसे विश्वास करेंगे, जिसे एक समय वह ब्रम्हा का वाक्य मानते थे। उसमें छपे एक–एक शब्द को वह सत्य मानते थे। अरविन्द मोहन जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए, छपे हुए शब्द हमेशा वजनी रहे हैं। अब वे 'वजनी' शब्द अपना 'वजन' खो रहे हैं। इंदौर से निकलने वाली 'नई दुनिया' जैसे अखबारों का एक समय ऐसा रुतबा था कि यह कहावत मशहूर हो गई थी – शहर में बारिश हुई और 'नई दुनियां' में नहीं छपी तो लोग–बाग मानने से इंकार कर देते कि कोई बारीश हुई है। अब मामला बिल्कुल जुदा है, अब आप मई की चिलचिलाती धूप में पैसे खर्च करके भारी बारिश की खबर छपवा सकते हैं। और इसमें अधिक शर्मनाक यह है कि इस घालमेल में बड़े घरानों के प्रतिष्ठित अखबार भी शामिल हैं। राजनीति और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के लिए किस प्रकार काम कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल देखिए, पंजाब की सरकार ने एक अप्रेल 2008 से जनवरी 2009 तक एम एच वन नाम के एक समाचार चैनल को अठावन लाख, चौरासी हजार, आठ सौ उन्नीस रुपए का विज्ञापन दिया। उसी दौरान प्रसार भारती को मात्र दो लाख बासठ हजार उनहत्तर रुपए का विज्ञापन दिया गया।

क्या आपको लगता है कि इतना पैसा लेने के बाद कोई चैनल सत्तारुढ़ पार्टी के खिलाफ स्टोरी चलाकर अपनी वफादारी पर सवाल उठाने का उसे कोई मौका देगा? यह बड़े शातिर तरिके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए करने का भी मामला है। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाश जोशी ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में खबर के लिए आरक्षित पृष्ठों पर विज्ञापनों की खबर की शक्ल में घुसपैठ के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। अब वह नहीं है लेकिन मिलावटी खबरों के खिलाफ उनका जो आंदोलन था उसे जारी रहना चाहिए। वह जंग सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं देश और समाज के भी हित में है।

खबर और विज्ञापन के इस घालमेल को लेकर पिछले दिनों अल्मोड़ा (उत्तरांचल) के वरिष्ठ पत्रकार शमशेर सिंह बिष्ठ ने एक संस्मरण सुनाया। उस वक्त दिल्ली से 'प्रथम प्रवक्ता' के संपादक वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जो उन दिनों 'जनसत्ता' में थे। देहरादून आए थे। उत्तरांचल में पत्रकारों से अखबार की नई नीति पर बातचीत के लिए। राय साहब से पहले वहां पत्रकारों को विज्ञापन विभाग से संबंधित लोगों ने संबोधित किया। जिसमें पत्रकारों को एक निश्चित विज्ञापन सीमा के संबंध में बताया गया था।

अगले सत्र में पत्रकारिता के सरोकार पर राय साहब पत्रकारों के सामने अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान बिष्ठजी ने यह सवाल उठाया, हम यहां जान पर खेलकर कई तरह की धांधलियों का खुलासा करते हैं। अपने दुश्मन बनाते हैं। आप अखबार देख लें, अधिक विज्ञापन उन्हीं लोगों की तरफ से होते हैं, जो गलत होते हैं। जिनकी खबर छपने वाली होती है, वे विज्ञापन देतें हैं और खबर रुकवाने के लिए। विज्ञापन देने वाले अधिकांश लोग वही होते हैं, जिनका कोई ना कोई स्वार्थ अखबार से जुड़ा होता है। अब पत्रकार उनसे विज्ञापन मांगने लगे फिर किस मुंह से उनके खिलाफ खबर लगाएंगे। बिष्ठजी के अनुसार उनके इस सपाट बयानी से उस वक्त राय साहब बड़े प्रभावित हुए।

आज बात विज्ञापन से कई कदम आगे बढ़ गई है। आज विज्ञापन और खबर के बीच की गहरी खाई पटती जा रही है। 'दि हिन्दू' अखबार में छपी पी साईनाथ के एक लेख की पंक्तियां देखें–

'एक ही सामग्री किसी अखबार में खबर के तौर पर छपी तो किसी अखबार में विज्ञापन के तौर पर।'

'लोगों को गुमराह करना शर्मनाक है, यह शीर्षक है नागपुर (दक्षिण– पश्चिम) से निर्दलीय उम्मीदवार उमाकांत (बबलू) देवताले की तरफ से खरीदी गई खबर की। यह खबर 'लोकमत' (06 अक्टूबर) में छपी थी। उसके आखिर में सूक्ष्म तरीके से एडीवीटी (एडवर्टिजमेन्ट यानी विज्ञापन) लिखा था। 'द हितवाद' (नागपुर से छपने वाला अंग्रेजी अखबार) में उसी दिन वह खबर छपी और उसमें कहीं विज्ञापन दर्ज नहीं था। देवताले ने सही कहा था लोगों को गुमराह करना शर्मनाक है। लेकिन क्या कहे जब आज समाचार पत्र और समाचार चैनल खुलकर इस शर्मनाक काम को अंजाम दे रहे हैं। और उन्हें इसके लिए शर्म भी नहीं आ रही।

प्रान्त अधिवेशन (दिल्ली)

दिल्ली प्रान्त का 45वाँ एक दिवसीय प्रान्त अधिवेशन जे.एन.यू. में 28 नवम्बर को सम्पन्न हुआ। इसे 4 विश्वविद्यालयों से 31 कॉलेज ईकाईयों से 203 कार्यकर्ता सहभागी रहे जिसमें छात्र–147, छात्रा–28, प्राध्यापक–7, अन्य–22 संख्या थी। अधिवेषन का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादुर राय ने किया। इस अधिवेशन में 'प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण गर्ग एवं प्रान्त मन्त्री आशुतोष को एक वर्ष के लिए पुनः चुना गया। इस अधिवेशन में भूपेन्द्र गोठवाल, निहारिका शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अरविन्द गर्ग को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया। अधिवेशन में क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल एवं राष्ट्रीय मंत्री श्री उमेश दत्त उपस्थित रहे । इस अधिवेशन में प्रान्त की शैक्षिक स्थिति पर प्रस्ताव भी पारित हुआ। जिसमें छात्रावास, शिक्षा के बाजारीकरण, में कैंपस सुरक्षा आदी विषयों पर पुर्नविचार किया जाय। लालदुर्ग कहे जाने वाले जे.एन.यू. में भगवा पताकाए लहरा रही थी। अधिवेशन के अंत में भारतमाता की जय, वन्देमातरम् के जयघोष के साथ शोभायात्रा निकाली गई। एवं खुले अधिवेशन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय मंत्री श्री उमेश दत्त एवं छात्र नेताओं के सम्बोधन के पश्चात् अभाविप का प्रान्त अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

लिब्राहन आयोग की जांच रिपोर्ट का विश्लेषण

REPORT OF THE LIBERHAN AYODH·YA COMMISSION OF INQUIRY

आयोग का गठन निम्नलिखित विचारार्थ विषयों की जांच करने के लिए किया गया था:

1. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में घटी घटनाओं से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों से जुड़ी सभी घटना अनुक्रम, जिनके कारण राम जन्मभूमि–बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ।
2. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, संबंधित संगठनों और एजेंसियों की राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस या उससे संबंधित घटनाओं में अदा की गई भूमिका।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में खामियां, जिनका निर्धारण किया गया था अथवा जिन्हें कार्यरत किया गया, जिनके कारण 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या नगर और फैजाबाद में राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद परिसर में ऐसी घटनाएं घटने में सहयोग मिला।
4. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मीडियाकर्मियों पर प्रहार से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थतियों से जुड़ी सभी घटनाओं का अनुक्रम।
5. कोई भी अन्य विषय जिनका संबंध जांच के विषय से जुड़ा हो।

प्रारंभिक टिप्पणी

आयोग ने सत्रह वर्षों की दीर्घावधि के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की इस रिपोर्ट पर देश को सहस्त्रों करोड़ रूपए की कीमत चुकानी पड़ी है। यह लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। इस रिपोर्ट से वे तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं जिसके लिए आयोग का गठन किया गया था। ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट पूर्वाग्रह मस्तिष्क से दी गई है जिसमें किसी खास व्यक्ति और/या संस्था पर रिपोर्ट देने का मन बना लिया गया था। लगता है कि आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों को रिपोर्ट में दोषी ठहराया जाना है और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी जानी है। इस प्रक्रिया में आयोग ने घटनाक्रम के पीछे सत्य का उद्घाटन करने की बजाए स्वयं को ही कहीं अधिक उद्घाटित कर दिया है। रिपोर्ट में अनेक प्रकार के विरोधाभास और असंगतियों से भरे छेद दिखाई पड़ते हैं।

यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि आयोग शायद ही कभी उस स्थल पर गया हो जहां तथाकथित घटना घटी। विचित्र बात है कि रिपोर्ट में घटना स्थल पर न जाना खलता है और तथ्य यही है कि उसे कार्यालय में बैठ कर ही लिखा गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि आयोग का कार्यालय लखनऊ में होगा, परंतु आयोग का काम काज कभी भी लखनऊ में न होकर दिल्ली में ही हुआ।

आयोग ने विचारार्थ विषयों का अतिलंघन किया:

पृष्ठ 942 पर अध्याय 14 (निष्कर्ष) के पैराग्राफ सं. 166.8 में कहा है — " बारबार कही गई और बार–बार इंकार की गई टिप्पणियां हैं जो गोविन्दाचार्य के नाम है —

> टिप्पणी: यह एक पूर्णत: विचारार्थ विषयों से हटकर गुमराह और असंगतबद्ध हैं। ये तथाकथित टिप्पणियां (और इनसे इंकार भी किया गया है) दिसंबर 1992 के बहुत बाद की हैं।

पृष्ठ सं. 958, पैरा सं. 171 में आयोग ने अन्य

व्यक्तियों अर्थात् देवरिया बाबा, अटल बिहारी वाजपेयी, बद्री प्रसाद तोशनीवाल, मोरपंत पिंगले, ओंकार भावे, प्रो. राजेन्द्र सिंह, गुर्जन सिंह, जी.एम. लोढा, चम्पत राय के साथ साथ दोषियों की सूची दी है।

टिप्पणी: परंतु आयोग ने कभी भी इन लोगों को अपना बचाव करने के लिए नहीं बुलाया। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य या प्रमाण होता है तो आयोग पर कानूनी और नैतिक बाध्यता रहती है कि वह अपना केस प्रस्तुत करे और अपना बचाव करे। हाई कोर्ट का जज होने के नाते यह बात उन्हें मालूम होनी चाहिए थी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत न्याय की यह प्राथमिक आवश्यकता होती है और किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसे निर्दोष साबित करने का अवसर न दिया जाए।

इस सूची में आयोग ने श्री प्रवीण तोगड़िया का नाम भी दिया है। 6 दिसंबर को या उससे पहले भी तोगड़िया की गतिविधियों का दायरा केवल गुजरात तक सीमित था। अतः न तो वह उस दिन मंच पर थे और न ही वे वक्ता थे।

पृष्ठ 931, पैरा 162.2 में आयोग ने कहा है: "ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मीडिया पूर्वाग्रहरहित हो या स्वतंत्र हो अथवा वह किसी का पक्ष न ले।"

टिप्पणी: क्या कहीं भी विश्व में किसी प्रकार की सरकार ने आज तक यह कहा है कि मीडिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष न्याय संगत और सोद्देश्य नहीं होना चाहिए?आयोग की उक्त टिप्पणी ने इस "चौथे साम्राज्य" को यह बढ़ावा देने का प्रयास किया है कि यह चौथा साम्राज्य अनैतिक, गैर जिम्मेदार बने और ईमानदार न रहे।

पृष्ठ 935, पैरा सं. 163.2 में आयोग ने कहा है "उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के दुराग्रही रवैये, राज्यपाल के कड़े दृष्टिकोण, सुप्रीम कोर्ट के प्रेक्षक की विवेकहीनता और गैर जिम्मेदारी और सुप्रीम कोर्ट की अल्पदृष्टि स्वयं में विचित्र और दुविधापूर्ण कथन हैं, अतः उनकी गहराई में मुझे नहीं जाना है।"

टिप्पणी: हाई कोर्ट का एक जज जो आयोग का चेयरमैन है, उसके द्वारा इस प्रकार की बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी अवांछनीय है। ऐसी अवांछनीय टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान है। मजे की बात यह भी है कि आयोग ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बुलाया तक नहीं। फिर भी उसने राज्यपाल के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की। अयोग यह बात भी समझ नहीं पाया कि वह एक हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है – सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है।

षड्यंत्र

पृष्ठ 917, पैरा 158.9 पर आयोग ने कहा है– "— साक्ष्यों के पूर्वानुमान से यही निष्कर्ष निकलता है कि कार सेवकों का इकट्ठा होना और अयोध्या तथा फैजाबाद में उनकी भीड़ न तो अचानक हुई और न ही स्वैच्छिक थी। यह भलीभांति आयोजित और सुनियोजित थी – परंतु अध्याय 1 पृष्ठ सं. 15, पैरा 7.4 में आयोग ने कहा है – किसी भी (मुस्लिम संगठनों के) काउंसिलों ने आयोग को षड्यंत्र या पूर्व–आयोजन अथवा संयुक्त रूप से मिलकर काम करने वाला कोई साक्ष्य या सूचना पेश नहीं की।

इसी अध्याय के पैरा 7.5 में आयोग ने आगे कहा है— "एक समुदाय या अन्य मुस्लिमों की ओर से कोई प्रभावी भागीदारी नहीं थी। आयोग के समक्ष मुस्लिमों की ओर से किसी वैकल्पिक 'थ्योरी' या कोई अन्य 'वर्जन' पेश नहीं किया गया —"

इसी पैरा 7.5 में कहा है – "एक खास समुदाय के नेता माने जाने वाले किसी जिम्मेदार शिक्षित नागरिक अथवा ऐसे लोगों ने जिन्होंने ढांचा ध्वस्त होने से पूर्व बातचीत में भाग लिया, किसी प्रकार की सामग्री अथवा तथ्यों को आयोग के सामने पेश नहीं किया।"

अध्याय 10 के पृष्ठ 775, पैरा 130.5 में आयोग ने कहा है "— इस प्रकार के षड्यंत्र में कोई दस्तावेज अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य संभव नहीं है और न ही ध्वस्त होने
की किसी योजना का बेदाग और पक्का साक्ष्य संभव है।"

पृष्ठ 782, पैरा 130.24 पर आयोग ने कहा है – "गृह मंत्री गोडबोले ने कहा है कि योजना संबंधी कोई सूचना

ढांचा ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस या भाजपा का षड्यंत्र था—"

टिप्पणी: तब, आयोग किसी आधार, साक्ष्य और किस औचित्य पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह भली–भांति आयोजित और सुनिश्चित था। साथ ही साथ, इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित ढांचे के ध्वस्त होने के बाद आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल नामक तीन संगठनों का विधिविरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत 10 दिसंबर 1992 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस पी.के.बाहरी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1992 को एक ट्राइब्यूनल (अधिकरण) का गठन किया गया था। एक संवैधानिक निकाय होने के कारण यथावत विचारण के बाद इस अधिकरण ने 18 जून 1993 को अपना निर्णय दिया जिसे सरकारी राजपत्र (भारत राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड-II) में प्रकाशित किया गया।

इस राजपत्र के पृष्ठ 71 पर अधिकरण का निर्णय था: यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पीडबल्यू–7 ने साफ तौर स्वीकार किया है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि इन संगठनों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कोई पूर्व योजना तैयार की थी। फिर पी.डबल्यू–7 ने स्वीकार भी किया कि 6 दिसंबर 1992 के दिन हुई घटना की वीडियो रिकार्डिंग आई बी ने तैयार की थी–"

जस्टिस बाहरी के इसी निर्णय के पृष्ठ 72 पर कहा गया है – "यहां तक कि स्वयं केंद्र सरकार ने जो श्वेत पत्र तैयार किया, उसमें भी इन संगठनों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विवादित ढांचे को ध्वस्त करने की पूर्व योजना की थ्योरी का समर्थन नहीं होता है—"

यहां यह उल्लेखनीय है कि पी.डबल्यू–7 श्री पाधी था, जो आई बी का एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी था, और उसे भारत सरकार ने बाहरी ट्राइब्युनल के समक्ष अपना केस प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार ने अधिकृत किया था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह बात साफ तौर पर सिद्ध हो जाती है कि आयोग का मन पूर्वाग्रही था और उसने पहले ही विचार बना कर इस रिपोर्ट को लिखा है। जस्टिस बाहरी दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज थे और जिस ट्राइब्युनल के वह अध्यक्ष बने थे, वह न्यायिक निकाय था, जिसका निर्णय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। दूसरी तरफ लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और यह केवल सिफारिशी प्रकार की है जिसे सरकार माने या न माने।

लगता है कि आयोग उसी रुग्णता से ग्रसित है जिसका उल्लेख अध्याय 1 (प्रस्तावना) पैरा 1.1 में पृष्ठ 1 पर हुआ है — "कुछ लोगों के लिए शक्ति प्राप्त करने का लालच सिर चढ़ कर बोलता है। शक्ति अर्जन का सामान्य साधन राजनीति के रास्ते से आता है। स्वार्थ साधने और शक्ति अर्जन के लिए राजनीति के प्रयोग की इच्छा और तलाश हमेशा रहती है – राजनीतिक वांछनीय परिणाम के लिए चाहे जैसे भी हो, कुछ भी किया जा सकता है। शक्ति अर्जन की प्रक्रिया में किसी इंस्टीट्यूशन, राष्ट्र, व्यक्ति या समग्र रूप से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता नहीं रहती है। जीवन स्वयंमेव राजनीति का शिकार हो जाता है उद्देश्य अथवा बौद्धिक ईमानदारी या लॉजिक सब कुछ इस प्रकिया में गुम हो जाते हैं—"

टिप्पणी: वस्तुत: आयोग के शब्द ही स्वयं उस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। सरकार के आदेशों तथा इच्छाओं के बावजूद भी आयोग ने कभी भी लखनऊ से अपना कामकाज नहीं किया। वह दिल्ली में शक्ति अर्जन की राजनीति और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के उद्देश्य की इच्छा और तलाश करने की चाह में बैठा रहा।

राम जन्मभूमि का समर्थन

दुर्घटनावश अथवा इरादे रखकर, लगता है कि आयोग ने कुछ असावधानी बरतते हुए ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं जिनका न तो खंडन किया जा सकता है और न ही प्रतिवाद किया जा सकता है। आयोग ने अंत में आकर रामजन्मभूमि केस का समर्थन ही किया है:

अध्याय 2 में (अयोध्या और इसका भूगोल) पृष्ठ

इसलिए इसे पावन और ऐतिहासिक नगर माना जाता है।"

पैरा 9.2

"प्राचीन अयोध्या पारंपरिक रूप से हिंदू जीवन, संस्कृति का निष्कर्ष तथा बहुधर्मी समाज के सह–अस्तित्व का रूपांतरण माना जाता है। यह शांतिप्रिय स्थल था जहां नियमित रूप से लोगों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और संतों, मुनियों, यात्रियों, पर्यटकों का जमघट रहता है।"

पैरा 9.3

"अयोध्या विशाला, खोसला या महाकौशल, इक्ष्वाकु, रामपुरी, राम जन्मभूमि को नाम से भी बहुत प्रसिद्ध रही।"

पैरा 9.4

"रामभक्तों या जिन्हे हिंदू धर्म में रामानंदियों का नाम दिया जाता है, उनके लिए अयोध्या का विशेष ओर विशिष्ट महत्व है। यह स्थान हिंदुओं, मुनियों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और संतों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में आस्था हो, अपूर्व तीर्थस्थल रहा है।"

पैरा 9.5

"यह स्थल राम की जन्मभूमि के कारण भावात्मक मुद्दा बन गया है क्योंकि राम की गाथा में संस्कृति का हर पहलू विराजमान है, जो विगत को वर्तमान तथा भविष्य से जोड़ता है। कितने ही शासकों के बाद भी शताब्दियों से इस नगर में धार्मिक भावप्रणता का संचार बना रहा है।"

पृष्ठ 25, पैरा 10.3

"अयोध्या के पूर्व में फैजाबाद है जहां कि जनसंख्या लगभग 2,10,000 है। यहां बहुत से मंदिर हैं जो अधिकांशतः हिंदू देवता विष्णु के प्रति समर्पित हैं।"

पृष्ठ 26, पैरा 10.10

"वर्तमान में इस नगर में बहुधर्मावलंबियों का निवास है जिसमे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन आदि बसते हैं परंतु हिंदुओं की संख्या काफी अधिक है। सभी मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लोगों के लिए खुले रहते हैं।"

पृष्ठ 29 पैरा 12.1

"यहां एक बड़े क्षेत्र में अनेकों मन्दिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, गुम्बद, उद्यान और अन्य धार्मिक स्मारक फैले हुए हैं, बल्कि आलंकारिक रूप से कहा जाए तो कह सकते हैं कि अयोध्या का हर घर एक मन्दिर होता है।"

पृष्ठ 29, पैरा 12.2

"यहां प्रमुख मंदिरों में संकट मोचन मंदिर, शक्ति गोपाल मंदिर, शेषावतार मंदिर, वेद मंदिर, मणिराम की छावनी, हनुमान गढ़ी, प्रीति के ठाकुर, कनक भवन, रंग महल, आनंद भवन और कौशल्या भवन – शामिल हैं।"

पृष्ठ 32, पैरा 12.12

"राम कथा कुंज, या राम जन्मभूमि परिसर या रामकथा कुंज या विवादित ढांचे की स्थलाकृति या तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। एन.सी. पाधी ने इन तथ्यों को अपने स्टेटमेंट में बिना किसी विसंगति के परिपुष्ट किया है।"

अध्याय 4 (घटनाक्रम)

पृष्ठ 61, पैरा 18.6

"1528 में मुगल बादशाह बाबर ने कमांडर मीर बाकी को अयोध्या में मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। वर्तमान आंदोलन के प्रचारकों का दावा है कि राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मीर बाकी ने मस्जिद अर्थात् 'विवादित ढांचे' का निर्माण किया।"

पृष्ठ 61, पैरा 18.8

"सामान्यतः हिंदू भक्तों द्वारा राम चबूतरा पर स्थापित मूर्तियों की पूजा काफी समय से की जाती रही है। 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियों के स्थानांतरण से पूर्व मुस्लिमों ने, जिसका 'प्रतिदावा' किया जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं की थी।

पृष्ठ 62, पैरा 18.9

"किंतु इतिहास में इस प्रश्न के बारे में आयोग ने जांच नहीं की है कि मस्जिद ठीक किस स्थान पर बनी थी और न इस पर बातचीत हुई कि वह मंदिर के स्थान पर निर्मित हुई थी, क्योंकि यह आयोग के दायरे के बाहर की बात है।"

> टिप्पणी: इतना कहना पर्याप्त है कि मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया, जो अब एक स्वीकार्य तथ्य बन चुका है।

पृष्ठ 63, पैरा 18.13

"हालांकि किसी न्यायपालिका या प्रशासन द्वारा विवादित ढांचे पर जाने या वहां नमाज पढ़ने पर मुस्लिमों पर कोई

प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं रहा है, फिर भी 1934 से विवादित ढांचे पर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। विवादित ढांचे के अंदर न तो कोई जुलूस निकाला गया और न ही वहां कोई कब्र खोदी गई।"

टिप्पणी: इससे स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि कर दी है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थल पर हुआ। अयोध्या का अस्तित्व तो चिरंतर काल से बना हुआ है जबकि बाबर तो बहुत बाद में आया था और मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ।

पृष्ठ 88, पैरा 26.2

"यह उल्लेखनीय है कि अयोध्या से कोई मुस्लिम समुदाय का सदस्य बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या किसी अन्य कमेटी का सदस्य नहीं था, जिसने कभी भी विवादित ढांचे के ताले खुलवाने का विरोध नहीं किया। हैदराबाद के एक सांसद सुलतान शहाबुद्दीन ओवेसी ने कुछ अन्य लोगों के साथ ताले खोलने को चुनौती दी थी – वे ही पहली बार हिंदू संगठनों के विरोधी बने।"

पृष्ठ 89, पैरा 26.4 में कहा है –

"मुस्लिमों ने पहली जनवरी से 30 मार्च 1987 तक विभिन्न प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन किया। गणराज्य दिवस का बायकाट करने (जिसे बाद में वापस ले लिया गया) का आह्वान करने के अलावा बंद का आह्वान किया गया और दिल्ली में वोट क्लब पर सार्वजनिक रैली निकाली गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम और सुलेमान सेठ आदि जैसी कुछ हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से हिंसा की धमकियां दी।"

टिप्पणी: फिर भी आयोग किसी व्यक्ति पर विपरीत टिप्पणी नहीं कर पाया है।

आयोग ने स्वयं अपना खंडन किया –

पैरा 158.3 में आयोग ने कहा है– "यह कभी आंदोलन नहीं बन सका –"

जबकि पैरा 158.9 और 159.10 में आयोग ने खुद ही अपनी बात का "आंदोलन की संपूर्ण प्रकिया" और "आंदोलन के नेताओं –" जैसी बातें कह कर खुद ही अपनी बात का खंडन किया है।

पृष्ठ 15, पैरा 7.3

"अपने घटकों की ओर से मुस्लिम समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने दावा किया है कि ढांचे के ध्वस्त होने से उनकी भावनाओं और संवेदनाओं पर बुरा असर पड़ा है। उनका कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंचा है। प्रारंभ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वक्फ बोर्ड, अन्य मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों की विभिन्न परिषदों (वकील आयोग के सामने पेश हुए और आयोग को नियम बनाने में सहयोग किया।

पृष्ठ 15, पैरा 7.4

"इसके बाद, आखिरी चरणों में अर्थात् लगभग एक दशक के बाद मुस्लिम बोर्ड के कौंसिलों ने कार्यवाही में भाग लिया। आयोग बनने के पांच वर्ष बाद मुश्ताक अहमद आयोग के सामने आने लगे, वे आयोग के सामने मुस्लिम लॉ बोर्ड में शामिल और एसोसिएट करने से पहले की बात है। आजाद मखमल ने शहाबुद्दीन का प्रतिनिधि बनकर जांच में कोई खास योगदान नहीं किया। किंतु मुश्ताक अहमद ने जरूर बीच बीच में कुछ गवाहों का क्रास–एक्जामिन किया। आयोग की जांच के एक दशक बाद कोई एक साहब 'बहाद–उल–बाकी' ने एआईएमएल का प्रतिनिधि बन कर पेश हुए, उनके साथ वरिष्ठ कौंसिल युसुफ मुच्छला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया और कुछ प्रमुख गवाहों का क्रास–एक्जामिन किया
जिसमें आंशिक रूप से एल.के. मडजानी शामिल हैं। किसी भी कौंसिल ने आयोग को षड्यंत्र या पूर्व योजना या संयुक्त रूप से काम करने के बारे में कोई साक्ष्य या सूचना नहीं दी। जांच के आखिर में एक एडवोकेट ओ.पी.शर्मा भी उतने ही बेकार दिखाई पड़े।"

पृष्ठ 17, पैरा 8.3 में आयोग ने कहा है:

"विवादित ढांचे का विवाद उतना ही पुराना है जितना इतिहास। अनगिनत पुस्तकों के लेख और शोध पत्र, आयोग की कार्यवाही या आयोग के रिकार्ड में रखे गए। संपत्ति के हक का निपटारा कोई भी सिविल अदालत कभी नहीं कर पाई, जो अब भी माननीय हाईकोर्ट में पैंडिंग है। समय–समय पर उस समय के शासक ने लोगों को अपने मजहब के अनुसार उपासना की इजाजत देते रहे।"

अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न

अभाविप का 55वां राष्ट्रीय अधिवेशन 30-31 अक्टूबर, 1 नवम्बर 2009 को ऊना हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न हुआ। इसमें पूरे देश भर से 2471 कार्यकर्ता सहभागी रहे। जिसमें 1927 छात्र, 307 छात्राएं, प्राध्यापक 175 एवं 62 अन्य कार्यकता थे। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलींद मराठे व राष्ट्रीय महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा को पुन: 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया।

इस अधिवेशन मे तीन प्रस्ताव (1) वर्तमान शैक्षिक स्थिति (2) राष्ट्रीय सुरक्षा, (3) छात्रसंघ,पारित हुए (4) राष्ट्रीय पहचान पत्र व्यवस्था पर प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित हुआ। ऊना जैसे छोटी आबादी वाले शहर में इतना बड़ा अधिवेशन लोगो के आकर्षण बना हुआ था। इतना बड़ा आयोजन शहर में पहली बार हुआ था। किसी छात्र संगठन के द्वारा इतने बड़े और अनुशासित कार्यकम के आयोजन पर शहर का सामान्य जन कार्यकम एवं उसके आयोजनकर्ताओ की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा था।

इस अधिवेशन में प्रा॰यशवन्तराव केलकर युवा पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय शोधसंस्थान से जुड़ी हुई ग्रामीण व अशिक्षित लोगो के उन्नयन के लिए कार्यरत डा. श्रीमती नंदिता पाठक को दिया गया।

न्यूज

नवम्बर माह में मेट्रो किराये में वृद्धि, विश्वविद्यालय में हो रही फीस वृद्धि, एवं ह्रासों में मनमाने रूप से किराये के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् दिल्ली प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में आन्दोलन विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम आदि आन्दोलन किये।

नॉर्थ कैम्पस में प्रान्त स्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री के पुतला दहन के साथ कैंपस में डी.टी.सी. बसों को रोके रखा गया गया एवं चक्का जाम किया गया। इसमें 200 के लगभग कार्यकर्ता व छात्र उपस्थित रहे।

पूर्वी विभाग के श्यामलाल व विवेकानन्द महाविद्यालय में बसों को रोकर विरोध दर्ज करवाया तो वही कालका जी विभाग के दयाल सिंह कॉलेज में मार्ग अवरुद्ध किया एवं देशबन्धु में परिवहन मंत्री का पुतला फूँका।

भगत सिंह कालेज स्थित BRT कारिडोर को आधे घंटे तक रोके रखा इसमें 150 के लगभग छात्र शामिल रहे।

इस सारे घटनाक्रम में पुरा छात्र समुदाय आ.भा.वि.प. के नेतृत्व में संघर्षरत दिखा। विरोध के स्वर को प्रखर करते हुए सरकार के छात्र विरोधी कृत्यों के खिलाफ विद्यार्थी परिषद् ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई।

55वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

30, 31 अक्टूबर 1 नवम्बर 2009, ऊना (हिमाचल प्रदेश)

प्रस्ताव : 1 वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य

गत दिनों में केंन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान न देकर झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए 100 दिन का कार्यक्रम जारी कर शिक्षा जगत में लोगों को कुछ आकर्षक दिखने वाली घोषणाएँ करने का प्रयास किया है। वास्तव में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है उस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम न उठाते हुए इस प्रकार केवल घोषणाएँ मात्र करना यह चिंताजनक है। मानव संसाधन मंत्री की उद्घोषणा, कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की 1991 की आर्थिक योजनाओं की तरह शिक्षा में भी उसी प्रकार की नीतियों को लागू करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारीकरण को और अधिक बढ़ाने की केन्द्र सरकार की नीति को स्पष्ट करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह राष्ट्रीय अधिवेशन इसका तीव्र विरोध करता है।

अभाविप का मानना है कि 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009' लाना एक स्वागत योग्य कदम तो है परन्तु जिस प्रकार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को 14 वर्ष के बालकों को मुक्त शिक्षा देने का निर्देश होने के बावजूद लगभग 50 वर्षों तक यह प्रावधान लागू नहीं किया गया था उसी प्रकार इस शिक्षा विधेयक को लागू करने में ढुलमुल रवैया नहीं अपनाया जाए। इस विधेयक को तुरंत लागू करने की अ.भा.वि.प. पुरजोर मांग करती है।

विद्यार्थी परिषद् केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा बिना सुविचार किये 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने तथा केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम से मेरिट समाप्त कर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के अदूरदर्शिता पूर्ण कदम का तीव्र विरोध करती है। इससे विद्यार्थी की सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना समाप्त होगी तथा उसे शिक्षा क्षेत्र में अपने भविष्य की दिशा तय करने एवं विषय चयन करने में दिग्भ्रम उत्पन्न होगा। अभाविप इस निर्णय को तुरन्त वापस लेने की मांग करती है।

भारत में लगभग 180 मानित विश्वविद्यालय हैं तथा लगभग 300 से अधिक अभी प्रस्तावित है जिनमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों का उद्देश्य व्यापारीकरण का है। इन विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना, प्रवेश, प्रशासन एवं परीक्षा आदि विषयों में बहुत अनियमितता है तथा इन पर किसी प्रकार की कोई नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर शोषण को रोकने एवं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ठोस कानून बनाने की मांग अभाविप दोहराती है।

अभाविप ने समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एवं शिक्षा न्यायाधिकरण गठित करने का सुझाव दिया है। अतः अभाविप केन्द्र सरकार द्वारा यशपाल समिति की अनुशंसानुसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा व शोध आयोग तथा शिक्षा न्यायाधिकरण की घोषणा का स्वागत करते हुए यह मांग करती है कि इन संस्थानों के स्वरूप एवं यू.जी.सी., एम.सी.आई., ए.आई.सी.टी.ई. जैसी संस्थाओं के कार्याकरण पर रोक जैसी बातों पर देशव्यापी चर्चा कर आगे कदम बढ़ाया जाये। यशपाल समिति की अनुशंसाओं में शोध कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने हेतु विश्वविद्यालय को स्वायत्तता वास्तविक अर्थों में प्रदान करना,

अध्ययन–अध्यापन वाले ही विश्वविद्यालय खोलना जैसे अनेक विषय उठाये गये है। अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन यशपाल समिति की इन सभी अनुशंसाओं को तुरन्त लागू करने की मांग करता है।

केवल कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में एक साथ 14 निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिया जाना यह प्रदर्शित करता है कि देश भर में शिक्षा के माध्यम से व्यापार करने की मनोवृत्ति का ही परिचालक है। इन विश्वविद्यालयों के संचालकों एवं शासकों के बीच गठजोड़ का एक ज्वलंत उदाहरण उडीसा में हाल ही में एक एल्यूमिनियम माइनिंग कम्पनी को वेदांत विश्वविद्यालय खोलने के नाम पर सभी नियमों को ताक पर रखकर सरकार द्वारा लगभग 6000 एकड़ भूमि प्रदान करना है। यह और भी अधिक आपत्तिजनक है कि इसमें से लगभग एक हजार एकड़ जमीन भगवान जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट से अधिगृहित की गयी है। समुद्रतट की जमीन, जहां कई प्रकार के खनिजों की बहुतायत होती है, वहां वेदांत विश्वविद्यालय के नाम पर भूमि अधिग्रहण को तुरन्त निरस्त करने की अभाविप मांग करती है।

देश भर में विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक दोहरी शिक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। गरीब छात्रों के लिए सरकारी विद्यालय/ महाविद्यालय तथा अमीरों के लिए निजी संस्थान के विभेदकारी वातावरण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विशेष कर व्यवसायिक शिक्षा जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए., इंजीनियरिंग, मैडिकल आदि की पढ़ाई अब गरीब मेधावी छात्रों के लिए स्वप्न जैसे बनती जा रही है। कई संस्थाओं (जैसे–कर्नाटक के कुवेम्पू, मैसूर और दिल्ली का इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालयों) में तो अधिकतर विषयों में स्ववित्तपोषित आधार पर ही प्रवेश मिल पाता है। तथा इनकी शुल्क संरचना तीव्र बाजारीकरण का अहसास कराती है। अभाविप द्वारा व्यावसायिक महाविद्यालयों के शुल्क संरचना के सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में एक ही पाठयक्रम के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में भारी अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इंजीनियरिंग पाठयक्रम के लिए सरकारी महाविद्यालयों में प्रति वर्ष का शुल्क राजस्थान में 42000 रूपये, केरल में 6000 रूपये, तमिलनाडू में 22700 रूपये, हिमाचल प्रदेश में 40000 रूपये, कर्नाटक में 18090 रूपये तथा गुजरात में 20530 रूपये है। सरकारी मैडीकल कॉलेज में एम. बी.बी.एस. पाठयक्रम के लिए केरल में 12000 रूपये, हिमाचल प्रदेश में 20000 रूपये, मध्य प्रदेश में 37000 रूपये तथा कर्नाटक में 16200 शुल्क लिया जाता है। परन्तु इन पाठयक्रमों के लिए निजी महाविद्यालयों में लिये जाने वाला शुल्क कई गुण अधिक है उदाहरणार्थ कर्नाटक के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 55 प्रतिशत मैनेजमैंट सीट हैं। इनमें 125000 रूपये वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त लगभग 10 लाख रूपये तक डोनेशन लिया जाता है। इसी तरह Law, BEd, DEd, Nursing, Hotel Management, Fahion Designing cource में बड़ी मात्रा में व्यापारीकरण चल रहा है। इसी प्रकार मेडीकल महाविद्यालयों में 60 प्रतिशत मैनेजमैंट सीटें हैं जिनके लिए 325000 रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से शुल्क के अलावा 50 लाख रू. तक डोनेशन लिया जाता है। डैंटल महाविद्यालयों में 65 प्रतिशत मैनेजमैंट सीटें है। इनके लिए 225000 रू. प्रतिवर्ष शुल्क के अतिरिक्त 6 लाख रू. तक डोनेशन लिया जाता है। शिक्षा संस्थान कमाई के अड्डे बन चुके हैं। अभाविप का मानना है कि इसे रोकने के लिए सशक्त केन्द्रीय कानून बनाया जाना अनविार्य है।

मध्य प्रदेश सहित देश भर के 47 मेडीकल, तकनीकी एव व्यावसायिक पाठयक्रम संचालित करने वाले निजी महाविद्यालयों में आर्थिक अपराध रोकने वाली विभिन्न एजेंसियों ने छापामार कार्यवाही करते हुए करोड़ों की

अधिकारों से वंचित हो रहे है या चुनाव प्रक्रिया में मैरिट के आधार पर छात्रसंघ चुनाव के नाम पर मनोनयन कर छात्रों के साथ चुनाव के नाम पर छल किया जा रहा है। अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मांग करता है कि लिंगहोह समिति की अनुशंसाओं में आवश्यक सुधारों के साथ आदर्श आचार संहिता से सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जायें।

आज देश में वि.वि. एवं महाविद्यालय प्रशासन का लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर मनमानी करना दुर्भाग्य जनक है। दिल्ली वि.वि.(DU) छात्रसंघ चुनाव में विगत तीन वर्षो से लगातार वि.वि. प्रशासन द्वारा मनमानी कर छात्रसंघ और छात्र हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है उनको जब लगता है तब वह अपनी आवश्यकतानुरूप लिंगदोह की सिफारिशों को गलत तरीके से थोपते हैं। उसी के तहत उन्होंने इस वर्ष दिल्ली वि.वि. छात्रसंघ के अधिकाशं प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर अपनी तानाशाही भूमिका को दोहराया है तो वही उत्तरप्रदेश में मायावती की तानाशाही के कारण चुनाव नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन कडे शब्दों में निंदा करता है।

अभाविप का मानना है कि देश में छात्रसंघ चुनाव में मेरिट के आधार पर मनोनयन अनुशासन के नाम पर गलत तरीके से लिंगदोह की सिफारिशों का दुरूपयोग तो वही नौकरशाही के तानाशाही पूर्व रवैये तथा निजी प्रबंधकों (Private Management) के दबाव में योजनाबद्ध तरीके से छात्रसंघ पर आक्रमण कर युवा एवं छात्र आन्दोलन (Youth and Student activates) को समाप्त करने का षडंयंत्र है जो देश के लोकतंत्र को गंभीर खतरा है। अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन इस दृष्टिकोण पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बाद मा.सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि केन्द्र व राज्य सरकारें इन सिफारिशों का परिपालन कर छात्रसंघ चुनाव का कानून बनाये लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि किसी भी सरकार द्वारा मा.सर्वोच्च न्यायालय में Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत न करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य वि.वि. एवं व्यावसायिक महाविद्यालयों में लिंगदोह की भावनाओं के विपरीत चुनाव न कराते हुए चयन प्रक्रिया अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन किया है। तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारें छात्रसंघों के प्रति उदासीन रवैये का परिचायक है जिसकी अभाविप कड़े शब्दों में निंदा करती है।

अभाविप का यह राष्ट्रीय अधिवेशन मांग करता है कि लिंगदोह समिति की अव्यव्हारिक सिफारिशों जैसे चुनावों में 5000 रू. की अधिकतम खर्च सीमा, महाविद्यालय व वि.वि. में छात्रसंघ पदाधिकारी के किसी भी पर पर एक ही बार चुनाव लड़ने के बारे में पुनर्विचार कर इन्हें अधिक तर्कसंगत बनाया जाये। साथ ही यह राष्ट्रीय अधिवेशन छात्रसंघ चुनावों को प्रभावी व अच्छे ढंग से सम्पन्न करने के लिए निम्न मांगों पर शीघ्र कार्यवाह की मांग करता है।

1 छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही हो।

2 छात्रसंघ चुनाव हेतु National Student Union Act बने।

3 छात्रसंघ चुनाव प्रत्येक सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित हो।

4 छात्रसंघ चुनाव के लिए प्रान्त स्तर पर एक ट्रिब्यूनल का गठन हो।

5 छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुरूप प्रत्येक वि.वि. तथा महा विद्यालय में छात्रसंघ का गठन आवश्यक रूप से किया जाये

6 पूरे प्रदेश में एक ही तिथि पर छात्रसंघ चुनाव हो।

प्रस्ताव : 4 राष्ट्रीय पहचान पत्र व्यवस्था और विचारणीय प्रश्न

समस्त भारतवासियों को बहु उद्देशीय विशेष पहचान पत्रजारी करने के लिए भारत सरकार ने Unique Identification Authority of India का गठन किया। श्री नन्दन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण के द्वारा समस्त देशवासियों को यह विशेष पहचान पत्र तीन वर्ष में उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसकी कार्ययोजना भी तैयार की गयी है। इस विशेष पहचान पत्र के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुये यह माना गया है कि इस पहचान पत्र के द्वारा समाज में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय से वंचित लोगों को समाज कल्याण की विविध शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अर्थात यह पहचान पत्र सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की शासकीय योजनाओं के लिए सर्वसमावेशी कैटेलिस्ट की भूमिका का निर्वहन करेगा। साथ ही किसी को भी बार-बार अपनी पहचान प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विशाल एवं महत्वकांक्षी तकनीकी पहलूओं में गये बिना ही इसके लाभ तथा इस पर आने वाला व्यय का देश के हित में आंकलन किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस परियोजना पर लगभग 1 .5 लाख करोड रूपये की व्यय का अनुमान है और यह धन भारत के नागरिकों का ही है। अत: भारतीय नागरिकों के हित में इस योजना से जुड़े विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार के अनुसार यह कार्ड आर्थिक न्याय में कैटलिस्ट की भूमिका का भी निर्वाह करेगा। क्योंकि इससे सामाजिक हित के कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होंगे तथा यह समाज कल्याण के विविध कार्यक्रम लक्ष्य पूर्ति में अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। लाभ चाहे जो भी हो पर इस कार्ड की योजना में बहुत सारे ऐसे विषय बिंदु हैं जो अस्पष्ट है। और इनको स्पष्ट करने का संतोषजनक प्रयास भी नहीं किया गया है। जिसमें सबसे पहला यह है कि यह विशिष्ट पहचान पत्र केवल भारत के वैध नागरिकों को दिया जायेगा अथवा उन सभी को जो भारत में जिस किसी भी तरह (घुसपैठ) में रह रहें हैं। इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण करने में प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीलेकणि ने भी अपनी असमर्थता जतायी है। उन्होंने इस संबंध में मात्र इतना कहा है कि यह कार्ड किसी को नागरिकता या नागरिक अधिकार नहीं दिलायेगा। यद्यपि कि इस कार्ड में संग्रहित डाटा आउट सौर्सिंग के द्वारा तैयार किया जायेगा। अत: व्यक्ति की समस्याओं की गोपनीयता की रक्षा तथा उनके दूरूपयोग की संभावना जैसे अनेक प्रश्न भी है।

नागरिकता पर उठाये गये प्रश्न पर श्री नीलेकणि द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथा प्राधिकरण की स्थापना के घोषित उद्देश्य परस्पर विरोधी है। सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक योजनायें केवल और केवल वैध भारतीय नागरिकों के लिए ही है। यदि यह कार्ड इन योजनाओं को गतिशील बनाने और लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ही है तो यह नागरिकता को प्रमाणित करेगा ही यह स्वत: सिद्ध है।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक केन्द्र सरकार एवं Unique Identification Authority of India से मांग करती है कि इस विशेष पहचान पत्र को जारी करने के पूर्व राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (NRC) को अद्यतन किया जाये। क्योंकि ऐसा न करने पर भारत में रहने वाले 3 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से वंचित भारतीय नागरिकों के लिए चलायी जाने वाले समाज कल्याण योजनाओं पर कब्जा कर लेगें। अभाविप की यह कार्यकारी परिषद् इस पहचान पत्र योजना को लेकर इस लिए आशंका में है कि उडीसा जैसे संवेदनशील राज्य में प्रथमत: जिन 6 तटीय जिलों को पहचान पत्र निर्मित एवं निर्गत करने के लिए चुना गया है वे घुसपैठ प्रभावित जिलें हैं। यदि यह कार्ड भारत में किसी प्रकार से (वैध या अवैध) निवास करने वाले सभी लोगों को जारी किया गया तो घुसपैठियों को इसका लाभ उठाने से अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से मांग करती है कि 1951 की जनगणना अथवा 1952 की मतदाता सूची के आधार पर नागरिक पंजीयन को अद्यतन करने के पश्चात ही इस योजना को लागू किया जाये। यद्यपि अभाविप Unique Identity Card (UID) के खिलाफ नहीं है और नागरिकों के लिए उपयोगिता को स्वीकार करती है। किन्तु इसका लाभ किसी भी स्थिति में भारत के विकास, एकता एवं अखंडता के शत्रु घुसपैठिये न उठा सके इसको सुनिश्चित करना अति आवश्यक मानती है। अत: अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक का स्पष्ट सुविचारित मत है कि देश के किसी भाग में UID को निर्मित एवं जारी करने का कार्य उस क्षेत्र से संबंधित NRC के भाग (पार्ट) को अद्यतन किये बिना किया जाना राष्ट्र हित में नहीं है।

family and idea of WOSY originated from the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. The delegates debated and understood varied forms of conflict arising out of globalisation, environment degradation, population exploitation, armed insurgencies, geo-economics and its dynamics. Prof R Vaidyanathan of IIM Bengaluru, Shri Sunil Bhargav and Shri Shantisree Pandit of University of Pune also expressed their views on the topic. Another session dealt with resource conflict where Prof Ashok Pachauri of IIT Roorkie expressed his views. Foreign delegates raised their queries in the open session of questions and answers.

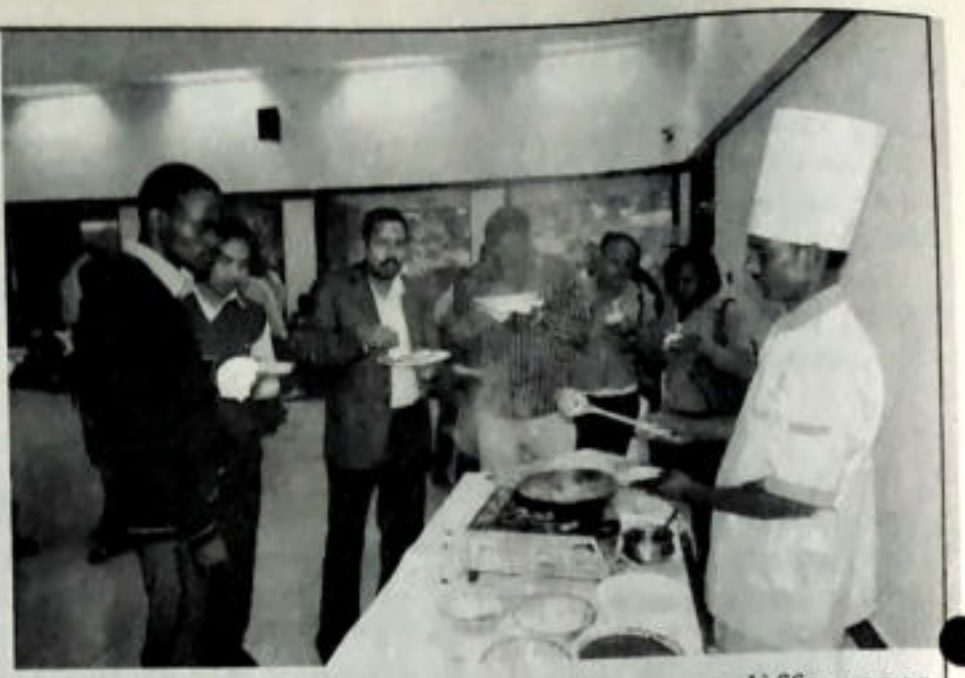

Secretary general of WOSY, Dr MS Chaitra, reception committee chairman Shri Dev Sharma, Delhi chapter president Shri Sandip Mahapatra and convenor of the conference Shri Aniket Kale also shared the stage. Many renowned dignitaries like Sahsarkaryavahs of RSS Shri Dattatreya Hosabale and Shri Suresh Soni, Rajya Sabha MP Shri Bal Apte, Shri Baleshwar Agrawal of Antar Rashtriya Sahayog Parishad, former national president of ABVP Prof Raj Kumar Bhatia also graced the occasion.

The second day of the conference began with paper presentation by delegates. National joint organising secretary of ABVP Shri KN Raghunandan presided over the session. The delegates from different countries pledged in one voice that they would resolve all the conflicting issues collectively. In the paper presentation session, the delegates reached on the conclusion that through dynamism and vibrancy of youth, solutions of many issues of conflict can be found out.

Rajya Sabha MP and editor of the Pioneer Shri Chandan Mitra said thousands of people were killed because of conflicts and clashes. So it is the responsibility of youth to bring appropriate changes in existing system. He reiterated that democracy and dialogue should be the only way to resolve the conflicts. Second session was Youth Leaders' Meet in which youths who are making systemic changes in society participated and shared their experiences. Prof Raj Kumar Bhatia presided over the session. In another session Prof Ashwini Mahapatra of JNU talked about internal conflicts of India. He said if we want to resolve the issue of internal conflicts we should resolve our differences through democratic means. He emphasised that we should respect other opinions and thoughts.

In the valedictory session, new team of the WOSY was announced. Smt Rashmi Singh was elected new chairperson. She has served as general secretary of Jawaharlal Nehru University Students' Union (JNUSU) in 1996. Dr MS Chaitra was re-elected secretary general. Advocate Sandeep Mahapatra (Delhi), Shri Samarth (Bengaluru) and Dr Rajnish Tyagi (Agra) will be new vice-chairpersons. Shri Narayan Dakal (Nepal), Smt Varsha Renga (Mauritius), Shri Daniel (Uganda) and Shri Sanjeev (Bengaluru), Aniket Kale (Pune) will be new secretaries. Shri Vinay Chandra (Bengaluru) will be new office secretary.

॥वसुधैव कुटुम्बकम्॥
WORLD IS A FAMILY

3rd International Conference on

Conflict Resolution and Peace

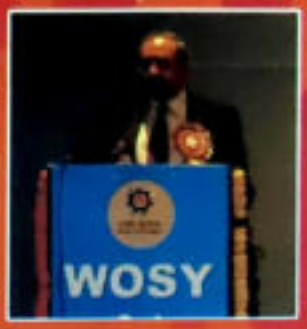

World Organisation of Students & Youth

ABVP
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ज्ञान • शील • एकता
1949-2009

60

एक आंदोलन देश के लिए

१९ दिसम्बर षष्ठीपूर्ति समारोह